।। महात्मा गांधी अमर रहें।।

राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस (इंटक) छ. ग.

INDIAN NATIONALTRADE UNION CONGRESS

पंजीयन क्र.- 5098/07
स्थापना वर्ष - 03/05/1947

इंजी. शशांक दुबे
जिलाध्यक्ष (DistrictPresident) राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस (INTUC) छ. ग.

राष्ट्रीय कार्यालय :- श्रमिक केंद्र-4 भाई वीर सिंह मार्ग नई दिल्ली -110001, फोन नं. - 2374-7767/68
Fax-2336-4244, EmailID.-intucq@del13.vsnl.net.in
प्रदेश कार्यालय। :- राजीव गांधी भवन, शंकर नगर, रायपुर, जिला - रायपुर (छ. ग.)
पत्राचार :- म. नं.1032, शिवनगर, रूमगरा, बालको, ज़िला- कोरबा (छ. ग.) 495684
मो. - 7869357373, 8770079834

क्रमांक..INTUC/KRBA/65..... दिनांक:....02.07.2024.....

प्रति,

सुश्री एस. राधा चौहान जी, सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, Ministry of Personnel, P G and Pensions

(कार्मिक लोक शिकायत एवम पेंशन मंत्रालय) Government of India नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001

विषय - खान सचिव एवं उनके द्वारा भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में नियुक्त निदेशकों पर अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, भारतीय दंड संहिता की धारा 120b, 166, 167, 168, 420, 467, 468, 471 के तहत कार्यवाही करने के सन्दर्भ में ।

महोदय,

मेरे द्वारा एक शिकायत महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवं भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय के समक्ष दिनांक 11.09.2023 को भेजा गया था (पत्र की प्रति संलग्न)

क्योंकि मामला खान मंत्रालय से संबंधित होने के कारण महामहिम राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति सचिवालय एवं भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय द्वारा खान सचिव, खान मंत्रालय भारत सरकार को उचित कार्यवाही का निर्देश देते हुए अग्रेषित कर दिया गया था, मेरे द्वारा दिनांक 09/12/2023 को राष्ट्रपति सचिवालय एवम दिनांक 14/12/2023 को उक्त शिकायत पत्र के सन्दर्भ में की गई कार्यवाहियों की जानकारी हेतु RTI Act 2005 के तहत आवेदन दायर किया गया था, जिस पर दिनांक 05/01/2024 के पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी दी गई कि शिकायत को दिनांक 25/09/2023 को सचिव, खान मंत्रालय भारत सरकार को उचित कार्यवाही का निर्देश देते हुए अग्रेषित कर दिया गया था तथा इसी तरह से कैबिनेट सचिवालय द्वारा भी मुझे जानकारी प्रदान की गई कि उक्त पत्र को दिनांक 06.10.2023 को उक्त Joint Secretary (Administration) खान मंत्रालय भारत सरकार को उचित कार्यवाही का निर्देश देते हुए अग्रेषित कर दिया गया था एवम साथ ही धारा 6(3) के तहत उक्त शिकायत पत्र पर खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु हस्तांतरित कर दिया गया था (RTI आवेदन एवम दिए गए जवाब की प्रति संलग्न)। **(Annexure 1)**

परन्तु मेरे द्वारा दिनांक 11.09.2023 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया एवम कैबिनेट सचिवालय के समक्ष प्रस्तुत किए शिकायत पत्र जिसे उचित कार्यवाही हेतु खान सचिव एवम संयुक्त सचिव (Administration) खान मंत्रालय भारत सरकार को अग्रेषित किया गया था उक्त अग्रेषित पत्र पर खान सचिव द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी ना देने अथवा आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्यवाही नही करने के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन ना करते हुए एक गलत पत्र का हवाला दिया गया जो कि मेरे शिकायत से संदर्भित ही नहीं है, खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जानबूझकर शिकायत पत्र पर कार्यवाही ना करते हुए मुझे गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है । (खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए RTI आवेदन में दिए गए जवाब पत्र की प्रति संलग्न) **(Annexure 2)**

यह सर्व विदित ज्ञात तथ्य है कि खान मंत्रालय भारत सरकार, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड एवं स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड (वर्तमान में वेदांता लिमिटेड) 2 मार्च सन 2001 को त्रिपक्षीय शेयर धारक समझौता (Shareholder Agreement) एवं शेयर खरीद समझौता (Share Purchase Agreement) हुआ था, जिसके तहत भारत सरकार के हितों की रक्षा के लिए तथा भारत के राष्ट्रपति की ओर से चार निदेशकों की नियुक्ति शेयरधारक समझौते के आर्टिकल 4.1(C) के अनुसार खान मंत्रालय के प्रतिनिधि/निदेशक के तौर पर बालकों के बोर्ड में की जाती है, तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161(3) एवम 149(7) के तहत भी बालकों के बोर्ड में नामित निदेशक के तौर पर चार निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के हितों की रक्षा एवम बालकों के बोर्ड के संचालन हेतु की जाती है, वर्तमान में खान मंत्रालय भारत सरकार के बालकों में 49% फ़ीसदी

हिस्सेदारी है तथा उनके द्वारा बालकों के बोर्ड में चार नामित निदेशक है, जो खान मंत्रालय भारत सरकार में joint secretary, joint secretary financial advisor, एवं डायरेक्टर के पद पर हैं, जिसमें सुश्री निरुपमा कोटरू कोयला एवं खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर है, श्रीमती फरीदा एम. नाईक खान मंत्रालय भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर हैं तथा श्री विवेक कुमार शर्मा खान मंत्रालय भारत सरकार में निदेशक के तौर पर नियुक्त हैं एवम श्री संजीव वर्मा खान मंत्रालय भारत सरकार में निदेशक के तौर पर नियुक्त हैं एवम साथ ही श्री संजीव वर्मा जी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भी खान मंत्रालय भारत सरकार के प्रथम अपीलीय अधिकारी के तौर पर नामित हैं। उक्त सभी अधिकारियों की बालको के बोर्ड में खान मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक/प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्ति हुई है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 के तहत The President of India or the Governor of a State, if he is a member of a company, may appoint such person as he thinks fit to act as his representative at any meeting of the company or at any meeting of any class of members of the company.

संदर्भ के लिए Farida M. Naik द्वारा दिनांक 13.11.2014 को भारत के राष्ट्रपति की ओर से Shri Sudhakar Shukla, Economic Adviser, Ministry Of Mines के Bharat Aluminium Company Limited के Article Of Association के Article 63 के तहत Part-time Official Director के तौर पर बालको के बोर्ड में नियुक्ति के पत्र का संदर्भ ग्रहण करें जिसकी प्रतिलिपि बालको के managing director, company secretary के साथ department of public enterprises एवम ministry of corporate affairs को भी प्रेषित की गई थी, तथा इसी तरह से दिनांक 29.09.2015 को Farida M. Naik द्वारा खान मंत्रालय भारत सरकार, भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड और Strategic Partner (M/s Sterlite Industries India Limited) के मध्य हुए त्रिपक्षीय Share Holders Agreement के Article 4.1(C) के तहत भारत के राष्ट्रपति की ओर से Shri Nikunja Bihari Dhal, IAS Joint Secretary, Ministry Of Mines की बालको के बोर्ड में part-time Official Director के रूप में नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, जिसकी प्रतिलिपि बालको के Managing Director, Company Secretary के साथ साथ Department Of Public Enterprises, Ministry Of Corporate Affairs के साथ खान मंत्री एवम खान सचिव भारत सरकार के PS को भी दी गई थी। (बालको बोर्ड में पूर्व में नियुक्त निदेशकों की नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि संलग्न) (**Annexure 3**)

वर्तमान में Farida M. Naik भी बालको के बोर्ड में भारत सरकार के ओर से नामित निदेशक के तौर पर भारत के राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त हैं जिनकी नियुक्ति बालको के बोर्ड में November 2022 को हुई है तथा वर्तमान में यह खान मंत्रालय भारत सरकार में Joint Secretary के पद पर हैं।

तथा संजीव वर्मा जी भी बालको के बोर्ड में खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नामित निदेशको में से एक है एवम इनकी नियुक्ति बालको के बोर्ड में दिनांक 26 दिसंबर 2022 को हुई है, तथा शेयरधारक समझौते के Article 4.4(b) के अनुसार मीटिंग में भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि अथवा निर्देशक की उपस्थिति के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है शेयर धारक एग्रीमेंट के Article 4.5 के खंड 3 के अनुसार खान मंत्रालय और रणनीतिक साझेदार के नामित प्रतिनिधि के Affirmative Vote के आधार पर कंपनी कोई भी नया बिजनेस शुरू कर सकती है, तथा उक्त मामलो में निर्णयों हेतु खान मंत्रालय भारत सरकार से Special Consent की आवश्यकता होती है, रणनीतिक साझेदार द्वारा नामित निदेशक एवम बालको का Managing Director/CEO भी स्वयं अकेले कोई निर्णय नही ले सकता है, इसी तरह से कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 5,12,13,14,27,41,54,62,66,68,71,140,149(1),149(10),165,180,186,210,212,248 के विशेष प्रस्ताव वाले मामलो (Special Resolution) में खान मंत्रालय भारत सरकार के बालको बोर्ड में नामित निदेशकों द्वारा मतदान करना आवश्यक है, अन्यथा बिना उनके विशेष प्रस्ताव वाले मामलो मे सहमति और मतदान के बालको के बोर्ड द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, जिससे स्पष्ट है कि खान मंत्रालय भारत सरकार के पास Veto Power है, तथा उनका बालको के बोर्ड एवं कंपनी के महत्वपूर्ण मामलों पर नियंत्रण है, तथा उक्त कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का विशेष तौर पर उल्लेख भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, खान मंत्रालय भारत सरकार और रणनीतिक साझेदार (SIIL) के मध्य हुए Share Holders Agreement के Article 4.5 के खण्ड 1 से 23 तक में पूर्व में ही निर्धारित किया जा चुका है, जिससे स्पष्ट है कि खान मंत्रालय भारत सरकार के पास बालको के शेयरधारक के तौर पर कंपनी के मामलो मे विशेषाधिकार वैधानिक रूप से है, जिस हेतू शेयरधारक समझौते की कंडिका 4.3, 4.4 के अनुसार बोर्ड की बैठक हेतु कोरम आयोजित की जाती है, एवम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101 के तहत कंपनी की सामान्य बैठक एवम वार्षिक बैठक हेतु प्रत्येक निर्देशक को नोटिस दी जाती है, जिसमे बैठक के प्रत्येक नोटिस में बैठक का स्थान, तारीख, दिन और समय निर्दिष्ट होगा और इसमें ऐसी बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय का विवरण शामिल होता है, धारा 102 के तहत कंपनी के समस्त निदेशको को बैठक हेतु नोटिस के साथ व्यवसाय की कोई भी वस्तु किसी दस्तावेज़ को संदर्भित करती है, जिस पर बैठक में विचार किया जाना है, वह समय और स्थान जहां ऐसे दस्तावेज़ का निरीक्षण किया जा सकता है, वित्तीय विवरणों और निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कोई अन्य जानकारी और तथ्य जो सदस्यों को व्यवसाय की वस्तुओं के अर्थ, दायरे और निहितार्थ को समझने और उस पर निर्णय लेने में सक्षम बना सके नोटिस के साथ संलग्न करके प्रेषित की जाती है और उसके पश्चात धारा 103 के तहत बोर्ड की बैठक हेतु कोरम आयोजित की जाती है, धारा 134 के तहत कंपनी के वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षा रिपोर्ट को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, उसके पश्चात ही बोर्ड की ओर से अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं एवम धारा 136 के तहत अंकेक्षित वित्तीय विवरण की प्रतियों पर प्रत्येक सदस्य का अधिकार है, एवम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 166 के तहत खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बालको में नामित निदेशक (Nominated Director's) एवम स्वयं ख़ान सचिव, खान मंत्रालय भारत सरकार बालको के महत्वपूर्ण शेयरधारक होने के नाते एवम राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों का पालन करने हेतु वैधानिक रूप से बाध्य है ।

तथा भारत सरकार एवं रणनीतिक साझेदार (SIIL) के मध्य शेयर धारक समझौता के Article 4.8 में साफ-साफ लिखा है की कंपनी के संचालन की प्रत्येक 3 माह के वित्तीय संचालन व उससे संबंधित समस्त दस्तावेज अनिवार्य तौर पर केंद्रीय खान मंत्रालय के पास जमा करवाना अनिवार्य है, तथा Article 4.7 के अनुसार बालको का मैनेजिंग डायरेक्टर बालको के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के निर्देशन एवम नियंत्रण के तहत ही कंपनी के Business Operations को manage करेगा तथा उसकी नियुक्ति और कार्यकाल शेयर धारक समझौते के Article 4.1 (B) के तहत् बालको के बोर्ड द्वारा

resolution के माध्यम से तय की जाएगी ।

खान मंत्रालय भारत सरकार के अपर सचिव श्री नाथ चौहान का यह कहना कि बालको सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार कार्यालय का ज्ञापन क्रमांक No.10/24/2006-IR दिनांक 28 जून 2007 का पत्र संलग्न किया गया है वह भी गुमराह करने वाला है उक्त पत्र का मेरे आवेदन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा अपने शिकायत पत्र पर के साथ संलग्न दस्तावेजों/अभिलेखों के आधार पर किए गए कार्यवाही एवम enquiry report की जानकारी चाही गई थीं, और खान मंत्रालय भारत सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में आता है, एवम धारा 2(a) के तहत सार्वजनिक निकाय (Public Authority) है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का पालन करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य है, इसलिए मेरे द्वारा चाही गई समस्त जानकारी उन्हें अनिवार्य रूप से मुझे देनी चाहिए थी जो कि श्री नाथ चौहान अपर सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार ने जानबूझकर गलत दस्तावेजों के आधार पर देने से इंकार किया इसलिए अपर सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार के साथ खान सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बालको बोर्ड में नामित निदेशकों एवम स्वयं खान सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार पर आपराधिक मामला दर्ज करते हुए विभागीय कार्यवाही करने की कृपा करें क्योंकि लोकसेवक द्वारा जानबूझकर लोक दस्तावेजों, जानकारियों को छुपाना या भ्रामक झूठी जानकारी देना, धोखाधडी करना या कूटरचना करके दस्तावेज़ तैयार करके आवेदक/जनप्रतिनिधि/जनता को गुमराह करना भारतीय दंड विधान की धारा 119,120B, 420, 467,468, 471 को आकर्षित करता है, जिसके लिए लोक सेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968/केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली 1965 के तहत अभियोजन एवम दांडिक कार्यवाही हो सकती है।

क्योंकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions के अधिकारिक ज्ञापन संख्या No.142/16/2013-AVD.I , दिनांक 21 जुलाई 2016 के अनुसार -

(1) Hon'ble Supreme Court in its judgement dt. 30.01.2012 in Civil Appeal No.1193 of 2012 (in SLP (C) No.27535 of 2010) in Dr. Subramanian Swamy versus Dr. Manmohan Singh and another observed that "there is no provision either in the (Prevention of Corruption Act),1988 Act or the Code of Criminal Procedure, 1973 (Cr. PC) which bars a citizen from filing a complaint for prosecution of a public servant who is alleged to have committed an offence".

2. The Apex Court further observed that "If the Competent Authority is satisfied that the material placed before it is sufficient for prosecution of the public servant, then it is required to grant sanction. If the satisfaction of the Competent Authority is otherwise, then it can refuse sanction. In either case, the decision taken on the complaint made by a citizen is required to be communicated to him and if he feels aggrieved by such decision, then he can avail appropriate legal remedy".

3. It was also observed by the Hon'ble Supreme Court in the matter that "At the same time, we deem it proper to observe that in future every Competent Authority shall take appropriate action on the representation made by a citizen for sanction of the prosecution of a public servant, so as to identify and obviate the areas causing delays in processing of such proposals ...".

(A). If there is a prima facie case against an IAS officer, the Central Government Ministry/Department should prepare a detailed report & consider obtaining version of the concerned officer. Such report alongwith all relevant records and evidence should be forwarded to DoPT with the approval of the Competent Authority in the Central Government Ministry/Department. (Minister in charge or MoS as the case may be)

(B). In case the administrative Ministry/Department after examination of relevant records and other evidence is of the view that prima facie, no case is made out of any alleged misconduct, which may constitute an offence under the Prevention of Corruption Act, 1988, that Ministry/Department shall inform the person who has made a request for sanction for prosecution under the said act and endorse a copy of the same to this Department.

स्पष्ट है, कि खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेरे शिकायत पत्र के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, अथवा जानबूझकर दोषी अधिकारियों एवम अपने रणनीतिक साझेदार (वेदांता लिमिटेड) के भ्रष्ट कृत्यों में सहयोग दिया जा रहा है, इसी कारण उन्हें बचाने के उद्देश्य से उपरोक्त नियमो का खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि उपरोक्त कार्यवाही के संबंध में उन्हें DoPT द्वारा ज़ारी दिशा निर्देशो का पालन करते हुए शिकायतकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए था, जबकि उपरोक्त कार्यवाही संबंधी जानकारी छुपाने के लिए ही खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपके ही विभागीय ज्ञापन का संदर्भ दिया है, जिससे स्पष्ट है कि DoPT के ज्ञापन संख्या No.10/24/2006-IR दिनांक 28 जून 2007 के आधार पर खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियों को छुपाया जा रहा है, एवम साफ़ तौर पर धोखाधडी की जा रही है, मेरे द्वारा राष्ट्रपति महोदया एवम कैबिनेट सचिवालय के समक्ष किए गए शिकायत पत्र में बालको से संबंधित वित्तीय गड़बड़ियों के साथ साथ बालको के बोर्ड द्वारा पूर्व एवम वर्तमान में किए जा रहे आपराधिक कृत्यों, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अलावा बालको के शेयर धारक समझौते एवम Article Of Association के उल्लंघन के संबंध में कठोर साक्ष्य मौजूद हैं, तथा ऐसे दस्तावेज भी उक्त शिकायत पत्र में संलग्न हैं जिससे प्रमाणित होता है कि बालको पर वेदांता लिमिटेड (रणनीतिक साझेदार) का अवैध रूप से कब्जा है, जिस हेतू भारत

सरकार द्वारा शेयर धारक समझौते के खंड 4.5, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 77A तथा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 15, 18A के तहत बालको का प्रबन्धन नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहिए जो कि खान सचिव, खान मंत्रालय भारत सरकार एवम उनके द्वारा नामित निदेशकों द्वारा नहीं किया गया ना ही इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, कैबिनेट सचिवालय के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

जिस हेतू आप निम्नलिखित बिंदुओं का संदर्भ ग्रहण करें, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों एवम रणनीतिक साझेदार द्वारा व्यापक रूप से भ्रष्टाचार करते हुए बालको एवम केंद्र सरकार को अपूरणीय आर्थिक के क्षति पहुंचाई जा रही है, उसके बावजूद भी खान मंत्रालय भारत सरकार के नामित निदेशकों एवम खान सचिव द्वारा इस संबंध में कोई भी ठोस कार्यवाही रणनीतिक साझेदार के विरूद्ध ना करके उल्टे उनके अवैध कार्यों में प्रशासनिक सहयोग एवम संरक्षण प्रदान किया जा रहा है -

(A). भारत अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड देश की अग्रणी अल्युमिनियम उत्पादकों में से एक है इस कंपनी का विनिवेश 2 मार्च 2001 को खान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया था उस समय बालकों की 51% शेयरधारिता लगभग (11,25,18,495 करोड़) shares का विनिवेश Sterlite Industries India Limited (SIIL) के पक्ष में किया गया था एवम शेष 10,81,06,005 करोड़ shares (49% Shares Of BALCO in the name of Government of India-President of India) लगभग 49% शेयर धारिता खान मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में रह गई थी, खान मंत्रालय भारत सरकार एवं भारत अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालकों के रणनीतिक साझेदार स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड (SIIL) के मध्य शेयरधारक समझौता (Shareholder Agreement) एवं शेयर खरीद समझौता (Share Purchase Agreement) 2 मार्च 2001 को हुआ था, जिसके अनुसार ही बालको (BALCO) कंपनी का संचालन एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, उक्त शेयर होल्डर एग्रीमेंट (Shareholder Agreement) के आधार पर खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपने रणनीतिक साझेदार स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड पर शेयर धारक समझौते की खंड 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 के तहत् रणनीतिक साझेदार के पक्ष में रखे गए शेयरों के हस्तांतरण, बिक्री, pledge करने अथवा gift के तौर पर अपने Associates को देने से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करते हुए खान मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में रखे हुए शेयरों के विनिवेश के संबंध में नियम तय किए थे तथा शेयर धारक समझौते के खंड 5.3 (j) के तहत ही कंपनी के स्टॉक मार्केट पर सूचीबद्ध कराने के संबंध में शर्तें तय की थीं, उक्त शेयरधारक समझौते के खंड 6.1 एवम 6.2 में खान मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में रखें तथा रणनीतिक साझेदार स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के पक्ष में रखें शेयरों के बिक्री एवम अधिग्रहण के दौरान Share Valuation के तौर तरीके निर्धारित किए गए थे, शेयरधारक समझौते के खंड 5.8 के तहत जब रणनीतिक साझेदार (Sterlite Industries India Limited) द्वारा फर्स्ट कॉल ऑप्शन (First Call Option) के तहत खान मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में रखे हुए 49 फ़ीसदी शेयरों के अधिग्रहण हेतु notice देते हुए 1098 करोड़ का चेक दिया गया था, जिसे तत्कालीन अटॉर्नी जनरल भारत सरकार एवम आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा कम्पनी अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत शेयर धारक समझौते के प्रावधानों को बताते हुए चेक वापस कर दिया था, जिस हेतु आप निम्नलिखित website link का संदर्भ ग्रहण करें -

http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=3106

https://www.telegraphindia.com/business/sterlite-cheque-for-balco-stumps-govt/cid/805265

https://www.business-standard.com/article/companies/sterlite-notice-on-balco-sale-106051301064_1.html

https://m.economictimes.com/industry/indl-goods/svs/metals-mining/govt-sterlite-may-make-peace-in-balco-row/articleshow/1886282.cms

https://m.economictimes.com/industry/indl-goods/svs/metals-mining/govt-sterlite-talks-on-balco-next-week/articleshow/1992732.cms

तत्पश्चात स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा शेयरधारक समझौते के खंड 11 के तहत मध्यस्थता के लिए Indian Arbitration and Coniliation Act 1996 के एक तहत विवाद का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन सेवानिवृत्त जजों के Arbitral Tribunal के समक्ष याचिका दायर की, जिसमें बीपी जीवन रेड्डी (B.P. Jeevan Reddy), एसपी भरूचा (S.P. Bharucha) एवम वी एन खरे (V.N. Khare) जैसे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल थे तथा स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का पक्ष श्री शांति भूषण एवं खान मंत्रालय भारत सरकार का पक्ष ए.के.गांगुली द्वारा रखा गया था, 25 जनवरी 2011 के उक्त Arbitral Tribunal द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय के अनुसार -

Page No. 2 , The Government Ultimately took the stand that clause 5.8 of the SHA is invalid and unforceable being in violation of sub-section (2) of Section 111A of the Companies Act 1956.

page no. 7, the purchaser issued a notice dated 9 May 2006 in terms of clause 5.7 of SHA which clause entitled the Purchaser to purchase the said shares at a lower price. Instead of complying with the said notice, the government, by their letter dated June 7, 2006 took the stand that clause 5.8 was violative of Section 111A of the Companies Act and hence null and void and unenforceable.

Page no. 12, Since clause 5.8 itself is illegal, the question of acting upon or complying with clause 6.1 of the SHA

or clause 6.1 of schedule to the SHA does not arise.

Page no. 87, For all the above reasons, we hold that clause 5(8) of the SHA (Including 5(3) and 5(4) and 5(1)(a) are void, ineffective and inoperative by virtue of being violative of sub-section (2) of Section 111A of the Companies Act. The relief of mandatory injunction and/or specific performance prayed for by the claimant (prayers (a) to (f) in para of Statement of Claim) cannot therefore be granted.

Page no. 105 Final Conclusion/Award, - The result of the above discussion is that the claims put forward by claimant in these proceedings are rejected. The claims are dismissed.

स्पष्ट है कि स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा पेश किए गए तर्को को पूर्णत : खारिज कर दिया गया यहां तक की शेयरधारक समझौते को भी Arbitral Tribunal द्वारा अवैध करार दिया गया है और इसे Companies Act 1956 की धारा 111A (2) का उल्लंघन कहा गया है।

जिससे स्पष्ट है कि बालकों के 51% शेयरधारक स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड (SIIL) द्वारा बालकों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर ना तो सूचीबद्ध किया जा सकता है एवं ना ही अपने अन्य सहायक कंपनियां जैसे वेदांता अल्युमिनियम लिमिटेड के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 233 अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 390 से 396A के प्रावधानों के तहत एवं स्कीम ऑफ अरेंजमेंट (Scheme Of Arrangement) के तहत Merger/Amalgamation अथवा Demerger/Reconstruction करके एकीकृत व्यवसाय अथवा अलग व्यवसायों में नए कंपनी के रूप में गठन करके मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराया जा सकता है।

जिसका जिक्र स्टार लाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने वर्ष March 31, 2009 में United States Securities And Exchange Commission को Form 20-F के तौर पर दिए अपने Annual Report में भी किया है -

जिसके page no. 14 के अनुसार - The Government of India has disputed our exercise of the call option to purchase its remaining 49.0% ownership interest in BALCO.

एवम इसके साथ ही Sterlite Industries India Limited ने यह भी उल्लेख किया है, कि वह बिना भारत सरकार के अनुमति के ना तो Stock Exchange पर BALCO एवम Hindustan Zinc (HZL) जैसी कंपनियो को सूचीबद्ध करवा सकती है और ना ही पूरी तरह से BALCO और HZL के Retained Earnings, General Reserve को अपनी दूसरी सहायक कंपनियों को हस्तांतरित कर सकती है, भारत सरकार को BALCO में क्रमश: 4 और Hindustan Zinc में क्रमश: 5 निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है और दोनों कंपनियों के शेयरधारक समझौते (Shareholder Agreement) के खंड 4.5 में कंपनी से महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में खान मंत्रालय भारत सरकार से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है जिससे स्पष्ट है कि बालको (BALCO) और Hindustan Zinc (HZL) से संबंधित कंपनी के संचालन, विस्तार, निवेश के मामलों में खान मंत्रालय भारत सरकार को veto power प्राप्त है, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने Annual Report के page no. 17 में किया है जिसके अनुसार - Third party interests in our subsidiary companies and restrictions due to stock exchange listings of our subsidiary companies will restrict our ability to deal freely with our subsidiaries, which may have a material adverse effect on our operations.

We do not wholly own all of our operating subscidiaries. Although we have management control of HZL and BALCO, and we intend to increase our ownership interests in both, each of these companies has other shareholders who, in some cases hold substantial interests in them. The minority interests in our subsidiaries and the listing of HZL on the BSE and the NSE may limit our ability to increase our equity interests in these subsidiaries or recognize the structure of our business in a tax collective manner. For example the Government of India, which is a minority shareholder in each of HZL and BALCO, has entered into shareholders agreements for HZL and BALCO and it is a term of the shareholders agreements that HZL and BALCO may not grants loans to companies which are under the same management as HZL or BALCO, as the case may be, without the prior consent of the Government of India. In addition, the Government of India has the right to appoint directors and has veto power over certain management decisions. These restrictions on our ability to deal freely with our subsidiaries caused by the minority interests may have a material adverse effect on our results of operations or financial condition as our ability to move funds among the different parts of our business will be restricted and we will be unable to access cash held in HZL or BALCO except through dividend payments by HZL and BALCO which would be payable to all shareholders. This will limit our ability to make payments of interest and principal in respect of financial liabilities and obligations which we have undertaken on behalf of our consolidated group of companies. **(Annexure 4)**

(B). उच्च न्यायालय गोवा के समक्ष दायर किए गए Company Petiotion No. 11 Of 2012, Company Applications No. 2/2013, 3/2013 & 4/2013, Sesa Goa Limited V/s Shailesh Bajaj के मामले में प्रस्तुत याचिका में दिए गए तर्को के आधार पर ज्ञात होता है कि दिनांक 25 फरवरी 2012 को SIIL, MALCO, SEL, VAL के Board Of Directors द्वारा Composite Scheme को और Ekaterina के

Board Of Directors द्वारा Concurrent Scheme को मंजूरी दी थी, तथा 2 अप्रैल 2012 एवम 12 अप्रैल 2012 को National Stock Exchange एवम Bombay Stock Exchange द्वारा Concurrent एवम Composite Scheme को अपनी मंजूरी दी थी, तथा 23rd April 2012 को Competition Commission of India द्वारा proposed combination के साथ Concurrent Scheme और Composite Scheme के मध्य के transaction को भी मंजूरी दी थी, तथा 29th June 2012 को Foreign Investment Promotion Board Of India द्वारा भी Concurrent Scheme में शामिल transaction को मंजूरी दी थी, जबकि RTI Act 2005 के द्वारा मांगे गए जवाबों से यह ज्ञात होता है कि SEBI, RBI द्वारा Sterlite Industries India Limited, Sesa Goa Limited, Sterlite Energy Limited, Madras Aluminium Company Limited, Vedanta Aluminium Limited तथा Ekaterina Limited जो maurities में पंजीकृत कंपनी थीं उक्त कंपनियों के दोनों Concurrent Scheme और Composite Scheme के तहत Merger/Amalgamation को कोई अनुमति नही दी गई थी, तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत Sesa Energy Limited, Sterlite Industries India Limited, MALCO, Vedanta Aluminium Limited और Sesa Goa Limited के मध्य Scheme Of Arrangement एवम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391-394 के तहत विलय प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई थी, ना कि Sterlite Energy Limited, Sterlite Industries India Limited, Vedanta Aluminium Limited, MALCO और Sesa Goa Limited के मध्य Scheme Of Arrangement और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 391-394 के तहत विलय प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई थी।

तथा इसी प्रकार से Ekaterina Limited और Sesa Goa Limited के मध्य सीमा पार विलय प्रस्ताव मॉरीशस कम्पनी अधिनियम 2001 की धारा 261-264 के तहत विलय प्रस्ताव को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मंजूरी दी गई थी परंतु Foreign Investment Promotion Board Of India जो वर्तमान में Foreign Investment Facilitation Portal, DPIIT के नाम से जाना जाता है, उक्त विभाग में Ekaterina Limited और Sesa Goa Limited के सीमा पार विलय प्रस्ताव के सम्बंध में FIPB, RBI, SEBI द्वारा दिए गए अनुमति/अनुमोदन के संबंध में कोई भी जानकारी मौजूद नही है।

तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा Sterlite Opportunities Ventures Limited और Sterlite Industries India Limited के मध्य कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391-394 के तहत Scheme Of Amalgamation को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 43A के तहत् मंजूरी दी गई थी परंतु SEBI व RBI, Stock Exchange, ROC, OL तथा High Court द्वारा दिए गए Observation Letter/NOC तथा आदेश के संबंध में कोई भी जानकारी Vedanta Limited अथवा Hindustan Zinc Limited के website पर उपलब्ध नहीं है।

स्पष्ट है कि उक्त Merger/Amalgamation में कम्पनी अधिनियम 2013, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, Securities Contracts (Regulation) Rules 1957, The Securities Contracts (Regulation) Act 1956, Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011, THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ACT 1992 , Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations 2000, Foreign Exchange Management Act 1999 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन किए बगैर उक्त कंपनियों का merger/amalgamation करके परिणामी कंपनी Sesa Sterlite Limited का गठन किया गया है तथा NSE, BSE पर सूचीबद्ध कराया गया है जो वर्तमान में वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) के नाम से जाना जाता है।

वर्ष 2014 में Income Tax Department और Ministry Of Corporate Affairs द्वारा Sesa Sterlite Limited को उक्त Merger/Amalgamation को एक व्यापक भ्रष्टाचार और Tax Evasion का तरीका बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थीं, जिस हेतु आप निम्नलिखित website link का संदर्भ ग्रहण करें -

https://m.economictimes.com/markets/stocks/news/sesa-sterlite-slips-over-2-as-government-challenges-merger/articleshow/38415605.cms

https://www.livemint.com/Companies/rq1PkZRqT79QW1RFLzUjZJ/SC-to-hear-government-plea-against-Sesa-Sterlite-merger.html

https://www.financialexpress.com/archive/govt-challenges-merger-of-sesa-sterlite-says-aimed-at-evading-taxes/1269964/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-14/india-challenges-merger-of-vedanta-units-on-tax-evasion-grounds

स्पष्ट है कि इसी कारण Sesa Sterlite Limited (Vedanta Limited) द्वारा आज तक Scheme Of Arrangement under Section 390-394 Of Companies Act 1956 के तहत् SIIL, SGL, Sterlite Energy Limited, MALCO, VAL, Ekaterina Limited के मध्य हुए Merger/Amalgamation से संबन्धित जानकारियों को आजतक सार्वजनिक नही किया गया है एवम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Ministry Of Corporate Affairs तथा Income Tax Department द्वारा दायर किए गए याचिका पर दिए गए आदेश के संबंध में भी कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से मौजूद नही है।

यदि Vedanta Limited (Sesa Sterlite Limited) द्वारा गोवा उच्च न्यायालय द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष गलत दस्तावेजों को पेश

करके अथवा SEBI, RBI, FIPB, CCI से बिना अनुमति प्राप्त किए अथवा forgery करके गलत तरीके से धोखाधड़ी करके NOC/Approval प्राप्त करके दुबारा Stock Exchange पर सूचीबद्ध कराया गया है तो यह सारे FII's DII's के साथ साथ Public Shareholders और यहां तक कि BALCO, HZL जैसे कंपनियों में Minority Shareholder खान मंत्रालय भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी है और इस हेतु Vedanta Limited पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। (**Annexure 5)**

(C). BALCO के मामले में Arbitral Tribunal द्वारा दिए गए Final Order और Sesa Sterlite Limited के अवैधानिक रुप से किए गए Merger/Amalgamation से स्पष्ट है कि Sesa Sterlite Limited जो वर्तमान में Vedanta Limited के नाम से जानी जाती है उसका BALCO और Hindustan Zinc पर नियंत्रण नही है तथा गलत तरीके से सबको गुमराह करके दोनो कंपनियों का संचालन किया जा रहा है और वर्तमान में वेदांता द्वारा दोनों कंपनियों के संबंध में दिनांक 29.09.2023 को किए गए घोषणा के संबंध में नियामक प्राधिकरणो और CBI, ED, SFIO द्वारा संयुक्त रूप से जांच करना चाहिए और Vedanta Limited के द्वारा BALCO और Vedanta Aluminium के Merger/Amalgamation के द्वारा एकीकृत व्यवसाय के रूप में गठन और Hindustan Zinc Limited के 3 अलग अलग व्यवसायों में विभाजित करने की योजना को रद्द करके Vedanta Limited और उसके Promoters पर वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए, जिसके लिए खान सचिव भारत सरकार पूर्ण रूप से अधिकृत हैं परंतु उनके द्वारा इस संबंध में कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है और ना ही रणनीतिक साझेदार वेदांता लिमिटेड के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

(D). इसके अलावा भी वेदांता लिमिटेड द्वारा अनेकों वित्तीय गड़बड़ियां की जा रही है और अपने subsidiary में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 187 के प्रावधानों के विरूद्ध related party transaction किया जा रहा है और अपने Board Of Directors के relatives की फर्म्स जैसे Runaya Refining LLP, Serentina Renewables India Private Limited, Sterlite Grid 36 Limited एवम अन्य स्वतंत्र निदेशको के रिश्तेदारों की firms को कंपनी से advance loan के साथ साथ service provider के तौर पर contracts भी दिए गए हैं, परंतु BALCO और HZL के मामले में इस हेतु भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों की विशेष अनुमति आवश्यक है परंतु इस संबंध में सामान्य बैठक/विशिष्ट बैठकों में Board Of Directors द्वारा लिए गए निर्णय की कोई भी Board Meeting Minutes की कॉपी ना ही Vedanta Limited द्वारा NSE, BSE को दी जाती है और ना ही यह जानकारी BALCO, HZL के website पर उपलब्ध है, यहां तक कि हर तिमाही कंपनी के Quarterly & Half Yearly Financial Audit Report भीं ना तो BALCO और HZL के website पर उपलब्ध है, यहां तक कि सरकार द्वारा अनेकों मामलों में HZL के प्रस्तावों का बोर्ड मीटिंग में कड़ा विरोध किया गया है परंतु इस संबंध में भी ना ही Vedanta Limited द्वारा NSE, BSE को सार्वजनिक रूप से सूचना दी गई है और ना ही BALCO, HZL द्वारा इस संबंध में जानकारी अपने website पर सार्वजनिक की गई है, स्पष्ट है कि BALCO और HZL जैसे कम्पनियों के मामले में Vedanta Limited सभी FII's, DII's और Public Shareholders को गुमराह कर रही है यहां तक कि इन मामलो मे खान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नामित निदेशकों द्वारा भी अनेकों वित्तीय और महत्वपूर्ण जानकारियो को सार्वजनिक ना करके सभी के साथ छलावा किया जा रहा है, उक्त कंपनियों के वर्तमान विस्तार परियोजना में खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निवेश किए गए तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैंको से लोन के तौर पर लिए गए ऋण राशि और security के तौर पर BALCO, HZL के जिन Assests को pledge अथवा deposit किया गया है उससे संबंधित कोई भी जानकारी कंपनी के Balance Sheet, Annual Audit Report में नहीं है यहां तक कि CSR से किए गए कार्यों का भी ब्यौरा और Audit Report दोनो कंपनियों के website पर मौजूद नही है जबकि CSR Committee में खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक भी शामिल हैं।

22 अप्रैल 2002 को 5.1 LTPA & 300 MW एल्यूमीनियम स्मेल्टर बालको विस्तार परियोजना की कुल लागत पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार 6387 करोड़ रुपए है, जबकि stock exchange में दिनांक 28 october 2022 को वेदांता लिमिटेड द्वारा बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की बैठक में इसकी कुल लागत को 8689 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के प्रस्ताव पास कर घोषणा की गई थी, परंतु 5.1 LTPA & 300 MW एल्यूमीनियम स्मेल्टर की जनसुनवाई में केवल एल्यूमीनियम स्मेल्टर के विस्तार परियोजना हेतु ही सहमति प्राप्त हुईं थीं ना कि एक नए 300 MW कैप्टिव पॉवर प्लांट के विस्तार परियोजना हेतु जनसुनवाई में बालको द्वारा प्रस्ताव रखा गया था ना ही इस प्रकार के प्रस्ताव पर जनसुनवाई में सहमति प्रदान की गई थी, बावजूद इसके भी MoEF&CC द्वारा Environmental Clearance में 5.1 LTPA एल्यूमीनियम स्मेल्टर के साथ 300 मेगावाट CPP स्थापना करने की अनुमति प्रदान की गई तथा उसके बाद बालको द्वारा Serentina Renewables के साथ 105 Megawatt के बिजली आपूर्ति हेतु Power Delivery Agreement किया गया जो अपने आप में ही इनके द्वारा किए जा रहे Anti-Business Practises को उजागर करता है, कि Environment Clearance में गैर वैधानिक रुप से पहले तो इनके द्वारा 300 MW CPP स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त की गई, उसके बाद उसकी स्थापना करने के बजाय 105 MW Renewable Energy की आपूर्ति हेतु Serentina Renewables से Power Delivery Agreement किया गया जिसका सीधा फायदा अनिल अग्रवाल के Twinstar Overseas की सहायक कम्पनी Serentina Renewables को मिलेगा, जबकि बालको के 270 MW CPP के बंद पड़े संयंत्र के स्थान पर एक नए 300 MW CPP की स्थापना की जा सकती थी जिसका सीधा लाभ बालको को होता इस प्रकार से बालको के Power Business को सीधे तौर पर Vedanta Limited और अनिल अग्रवाल के नियंत्रण की सहायक कंपनियों द्वारा प्रभावित किया जा रहा है, यहां तक कि विस्तार परियोजना की लागत के संबंध में भी उन्होंने धोखाधड़ी करके और संबन्धित मंत्रालयों विभागों को गलत जानकारियां देकर अनुमति प्राप्त की है, पहले उन्होंने विस्तार परियोजना की लागत 6387 करोड़ रुपए बताया फिर उसे अपने Board Of Directors की मीटिंग में बढ़ाकर 8689 करोड़ रुपए बताया पर इस संबंध में कोई भी जानकारी MoEF&CC और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर को उनके द्वारा प्रेषित नही की गई है और ना ही इस संबंध में कोई अनुमति प्राप्त की गई है तथा जिस भूमि पर विस्तार परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है उससे संबंधित 3 प्रकरण Writ Petition (Civil) No. 469/2005 सार्थक विरूद्ध भारत संघ एवम अन्य, SLP (Civil) No. 11811 of 2010 & SLP No. 35711 of 2013 भूपेश बघेल विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवम अन्य, तथा I.A. No. 1424-25 Of 2005 IN W.P.(C) No. 202/1995 भूपेश बघेल विरूद्ध श्री अनिल अग्रवाल एवम अन्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं तथा आज दिनांक

तक कोई भी अंतिम निर्णय उक्त तीनों प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है उसके बावजूद भी बालको के संबंधित Project Director और CEO द्वारा झूठे Affidavit प्रस्तुत करके यह जानकारी प्रदान की गई है, कि उक्त भूमि के सम्बंध में कोई भी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नही है।

https://www.livemint.com/news/india/government-may-oppose-hindustan-zinc-s-acquisition-proposal-for-vedanta-s-global-zinc-business-11682567416368.html

https://www.business-standard.com/companies/news/govt-rejects-hindustan-zinc-s-plans-to-split-company-into-different-units-124032200246_1.html

https://m.economictimes.com/industry/indl-goods/svs/metals-mining/centre-opposes-hindustan-zincs-2-98-billion-deal-for-vedanta-zinc-assets/articleshow/98079356.cms

https://www.pv-magazine-india.com/2023/04/07/vedanta-arm-to-source-105-mw-hybrid-renewable-power-for-its-aluminum-operations/#:~:text=Vedanta%20Ltd%20has%20announced%20its,its%20aluminum%20operations%20in%20Chhattisgarh.

https://www.business-standard.com/amp/article/news-cm/board-of-vedanta-approves-rs-8-689-cr-expansion-project-for-balco-122102801113_1.html

https://www.business-standard.com/article/companies/vedanta-to-invest-rs-6-600-cr-on-balco-expansion-over-18-24-months-121072701185_1.html

स्पष्ट है कि वेदांता द्वारा इस संबंध में कोई भी जानकारी सार्वजनिक रूप से स्टॉक एक्सचेंज को प्रदान नही की है और ना ही HZL व बालकों द्वारा उक्त जानकारियों को अपने website पर publish किया गया है। **(Annexure 6)**

(E). बालको के संबंध में IPO प्रक्रिया के माध्यम से विनिवेश के संबंध में अनेकों मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी प्रसारित हुई है यदि केंद्र सरकार बालको में अपनी 49% हिस्सेदारी IPO के माध्यम से विनिवेश करने की किसी योजना पर विचार कर रही है तो यह सरासर ग़लत है, क्योंकि बालको के रणनीतिक साझेदार द्वारा गलत तरीके से वर्तमान में बालको और वेदांता एल्यूमीनियम के व्यवसाय को एकीकृत व्यवसाय के तौर पर गठन करके Stock Exchange पर सूचीबद्ध कराने की योजना बनाई गई है जो कि ना तो भारत सरकार के हित में है और ना ही बालको के कर्मचारियो के हित में है, जिसका उल्लेख बिंदु क्रमांक 1 में किया गया है, बालको के रणनीतिक साझेदार स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और खान सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार के मध्य हुए मध्यस्तता विवाद निपटारा करते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शेयर धारक समझौता कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 111A का उल्लंघन है और उसके खंड 5.1, 5.3, 5.4, 5.8 में निहित प्रावधान भी पूर्ण रूप से अवैध एवम void हैं तथा Shareholder Agreement को भी Arbitral Tribunal द्वारा अवैध करार दिया गया है, तथा बालको के 51% shares का विनिवेश SIIL के पक्ष मे किया गया था ना कि Vedanta Limited के पक्ष में तथा वर्ष 2012 में हुए Sesa Sterlite के Merger/Amalgamation भी कानूनी तौर पर वैध नहीं है फिर किस आधार पर बालको का संचालन Vedanta Limited द्वारा किया जा रहा है तथा उक्त संबंध में खान सचिव और उनके द्वारा नामित निदेशको द्वारा इस विषय की गहन जांच करके भारत सरकार के समक्ष बालको का प्रबन्धन नियंत्रण वापस लेने के लिए प्रस्ताव क्यों नही रखा गया और shareholder agreement के खंड 4.5 और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 77A, The Industries (Development and Regulation) Act 1951 की धारा 18 के तहत Buy Back प्रक्रिया के अनुसार बालको के 51% shares को SIIL से वापस लेकर प्रबन्धन नियंत्रण पुनः स्थापित क्यों नहीं किया गया।

https://m.economictimes.com/markets/ipos/fpos/goi-vedanta-likely-to-discuss-balco-ipo/amp_articleshow/100024810.cms

https://www.business-standard.com/companies/news/govt-holds-talks-with-balco-for-withdrawing-arbitration-initiating-ipo-123060400210_1.html

(F). इसके अलावा वेदांता द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 141 का उल्लंघन करते हुए श्री दीन दयाल जालान जो बोर्ड में निदेशक हैं उनके ही रिश्तेदार की फर्म S R Batlboi & Co. LLP को अपना सहायक कंपनियों के साथ साथ Vedanta Limited का भी Statutory Auditor नियुक्त किया है इसी कारण से BALCO, HZL जैसे कंपनियों के अनेकों वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ियों को छुपाया जा रहा है, जैसे बालको विस्तार परियोजना के लिए प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति में Expansion Project की कुल लागत 6387 करोड़ रूपए बताई गई है जबकि media reports और NSE, BSE को वेदांता लिमिटेड द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार विस्तार परियोजना की कुल लागत लगभग 8689 करोड़ रूपए है, उक्त विस्तार परियोजना के लिए कितनी राशि अब तक वेदांता लिमिटेड द्वारा खर्च की जा चुकी है तथा खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त परियोजना में कितनी राशि बालको के Retained Earnings और Capex से निवेश की गई है तथा किन किन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैंको से उक्त परियोजना के निर्माण कार्य हेतु लोन लिया गया है तथा बालको के Board Of Directors द्वारा इस संबंध में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं उनके

Board Meeting के Minutes की copy ना तो वेदांता लिमिटेड द्वारा stock exchange को दी गई है और ना ही बालको द्वारा अपने website पर जानकारी publish की गई है।

अभी हाल ही में बालको को Income Tax Department के Tax Assessment Unit द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 574,33,35,162/- रुपए की जुर्माना राशि भुगतान करने हेतू नोटिस जारी किया गया है, ठीक इसी प्रकार से State Commercial Department Chhattisgarh के बिलासपुर, कोरबा, रायपुर डिविजन के State Tax विभाग के द्वारा 84,70,09,977/- करोड़ रुपए, 22,75,32,098/ करोड़ रुपए, 3,52,27,418/- करोड़ रूपए तथा Central GST & Central Excise Commissioner Indore द्वारा Central Value Added Tax के सम्बंध में 18,12,50,780/- करोड़ रूपए, तथा Custom Department Bhubhneshwar द्वारा 1,56,02,841/- करोड़ रूपए की Custom Duty के Tax Evasion के संबंध में penalty लगाते हुए नोटिस जारी किया है।

इससे साफ़ होता है कि उक्त दोनों कंपनियों के माध्यम से Vedanta Limited बड़े पैमाने पर Tax Evasion का कार्य कर रही है, तथा अपने Accounting Principle और Techniques के माध्यम से यह सब जानकारियों को S.R. Batliboi & Co. LLP द्वारा छुपाया जा रहा है। ऐसा ही कृत्य S. R. Batliboi & Co. LLP द्वारा अडानी समूह की कंपनियों में भी किया जा रहा था, जिसके कारण अभी NFRA द्वारा जांच की जा रही है।

https://www.business-standard.com/companies/news/adani-group-s-auditor-ey-faces-inquiry-by-national-accounting-regulator-123102500603_1.html. **(Annexure 7)**

(G). न्यायालय कलेक्टर एवम जिला दंडाधिकारी के समक्ष अपर कलेक्टर कोरबा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक - 202302050400130/बी-121/2022-23 श्री डिलेंद्र यादव, श्री गोविंद शर्मा अध्यक्ष तितिक्षा संगठन बनाम भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के मामले में दिनांक 22.08.2023 को प्रस्तुत किए गए जांच प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि बालको द्वारा कारखाना अधिनियम 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962, भवन एवम अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के प्रावधानों के साथ साथ शासकीय भूमि में गैर वैधानिक रूप से अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया गया है तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करके संयंत्र का संचालन कार्य किया जा रहा है जिससे अनेकों प्रकार की गंभीर बीमारियों से आसपास का जनमानस सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है, इसके अलावा जांच प्रतिवेदन के अनुसार बालको प्रबंधन द्वारा CSR मद से किए गए कार्यों के संबंध में कोई भी स्पष्ट जानकारी कलेक्टर कोरबा द्वारा गठित जांच दल के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया जिसके कारण बालको द्वारा सीएसआर मद से कराए गए कार्यों का उनके द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका जिसके संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया है कि बालको द्वारा जानबूझकर CSR Fund से कराए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

तथा जांच दल द्वारा यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि बालको द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश से ले आउट स्वीकृत किए बिना ही उद्योग का अनियमित विकास किया गया है उसके पश्चात् अनियमित विकास का नियमितीकरण कार्य कराया गया है, चूंकि इन सभी कृत्यों में किए जा रहे कार्यों में अकेले जिम्मेदार बालको के रणनीतिक साझेदार ही नहीं अपितु खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक भी हैं क्योंकि कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कारखाना अधिभोगी एवम बोर्ड के निर्देशक भी नियमों के पालन हेतु पूर्ण रूप से बाध्य हैं तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1948 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी कंपनी के Managing Director और Board Of Directors का ही कर्तव्य है, उक्त नियमो एवम प्रावधानों का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही कंपनी के managing director के साथ साथ board of directors पर भी हो सकती है तथा CSR Committee में member के तौर पर भी खान मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सुश्री निरुपमा कोटरू नामित हैं उसके बावजूद भी उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए संयंत्र का संचालन कार्य किया जा रहा है । **(Annexure 8)**

जिससे स्पष्ट है कि खान सचिव और उनके द्वारा नामित निदेशकों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बालको के रणनीतिक साझेदार के आर्थिक घोटालों में सहयोग दिया जा रहा है एवम स्वयं में आर्थिक लाभ अर्जित किया जा रहा है, इसी कारणवश मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों एवम प्रस्तुत साक्ष्यों के बावजूद किसी प्रकार का उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया गया जो मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वत: ही सिद्ध करता है, जो खान सचिव खान मंत्रालय भारत सरकार और उनके द्वारा बालको बोर्ड में नामित निदेशकों पर अभियोजन चलाएं जाने हेतु पर्याप्त है।

खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बालको के बोर्ड में नामित निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के साथ साथ अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 एवम अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम 2014 के नियम 3(1) के उपनियम (1ए), (2ए) एवम उपनियम 2(बी) का पालन करने के लिए बाध्य है, जिसके उपनियम (1ए) के तहत खान मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारियो की प्राथमिक तौर पर जनता के प्रति जवाबदेही है, उच्च नैतिक मानक आचरण, अखंडता और ईमानदारी के साथ राजनीतिक तौर पर तटस्थ रहते हुए निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना है, तथा जनता के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता का शिष्ट आचरण निभाते हुए लोक सेवक के दायित्वों का निर्वहन करना है, तथा उपनियम 2(B) के तहत सार्वजानिक सेवा में सत्यनिष्ठा रखते हुए सार्वजनिक हित में ही निर्णय लेना है तथा खुद को किसी भी व्यक्ति या संगठन के प्रति किसी भी वित्तीय या अन्य दायित्व के तहत प्रतिबद्ध नही होना है जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में प्रभावित करता हो तथा सिविल सेवक के तौर पर उन्हें अपने पद का दुरुपयोग नही करना है एवम निष्पक्षता के साथ काम करते हुए विशेषकर गरीब और समाज के वंचित वर्ग के साथ किसी तरह से भेदभाव नहीं करना है तथा ऐसा किसी भी प्रकार से कृत्य नही करना है जो किसी कानून, नियम, विनियम और स्थापित प्रथाओं के विपरीत है।

तथा भारत के खान सचिव और उनके द्वारा बालको के बोर्ड में नामित निदेशक Bharat Aluminium Company Limited, Strategic Partner (Sterlite Industries India Limited) एवम Ministry Of Mines Government Of India के मध्य हुए शेयर होल्डर एग्रीमेंट (Share

Holders Agreement) के तहत रणनीतिक साझेदार (वर्तमान में वेदांता लिमिटेड) पर उक्त एग्रीमेंट एवम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन नहीं करने तथा नियमों को नहीं मानने के संदर्भ में नोटिस देते हुए विधिक कार्यवाही करने हेतु भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिकृत हैं एवम पूर्ण रूप से बाध्य है।

तथा केंद्रीय खान सचिव भारत सरकार और उनके अधीनस्थ संयुक्त सचिव, निदेशक स्तर के अधिकारियो की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा All India Services Act 1951 के तहत की जाती है तथा उक्त अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968, All India Services (Discipline & Appeal) Rules 1969 के समस्त प्रावधानों को पालन करने हेतु बाध्य है, किसी भी कंपनी में जिसमे भारत सरकार की हिस्सेदारी है और उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की ओर से किसी भी कंपनी के बोर्ड में Shareholding Pattern के आधार पर Full/Part Time Official Director के तौर पर भारत सरकार के हितों की रक्षा हेतु की जाती है तो उन्हें कंपनी पर लागू समस्त नियमो, अधिनियमों, कानूनों का वैधानिक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा, जिसके तहत् उक्त कंपनी पर लागू Companies Act 2013 के सारे वैधानिक प्रावधानों का पालन करना भी उनके लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य होगा ।

बालको शेयर धारक समझौते के Article 4.1(b) एवम 4.1(c) में स्पष्ट प्रावधान है कि रणनीतिक साझेदार और भारत सरकार के नामित निर्देशकों को मिलाकर ही बालको के बोर्ड का गठन होगा, तथा बालको बोर्ड में कुल 9 निदेशक की नियुक्ति रणनीतिक साझेदार और खान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मिलकर नामित किया जाएगा तथा शेयर धारक समझौते के Article 4.1(c) के तहत खान मंत्रालय भारत सरकार को बालको में 49% Shareholding रहने तक भी कम से कम 4 Government Nominee Director नियुक्त करने का अधिकार होगा, जो की एक लोकसेवक एवम लोक प्राधिकारी (Public Authority) हैं, तथा 49% Shareholding होने तक खान मंत्रालय भारत सरकार बालको के रणनीतिक साझेदार (SIIL) जिसकी भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड में 51% shareholding है, रणनीतिक साझेदार द्वारा बालको (BALCO) बोर्ड में प्रस्तावित किसी भी वित्तीय समाधान (Financial Resolution) को अवरूद्ध (Block) कर सकता है। इसके साथ ही साथ शेयर धारक समझौते के Article 4.2 के तहत खान मंत्रालय सरकार और रणनीतिक साझेदार अपने द्वारा नामित किसी भी निदेशक को ऐसे निदेशक और अन्य पक्षों को नोटिस देकर हटाने के हकदार होंगे, जिस हेतू शेयर धारक समझौते के Article 4.1(d) के तहत खान मंत्रालय भारत सरकार और रणनीतिक साझेदार दोनों इस समझौते के अनुसार नामित निदेशको को चुनने/हटाने के लिए उनके पास मौजूद कंपनी के इक्विटी शेयरों के आधार पर मतदान करेंगे।

भारत सरकार के नामित निदेशक किसी बोर्ड मीटिंग में शामिल नहीं थे तथा भारत के राष्ट्रपति की ओर से सौंपे गए दायित्वों, कर्तव्यों का निर्वहन ना करते हुए रणनीतिक साझेदार (SIIL) को आर्थिक लाभ पहुंचाते हुए भारत सरकार के हितों की अवहेलना कर रहे थे तब उन पर भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी एवम कंपनी अधिनियम 2013, The All India Services (Discipline & Appeal Rules) 1969 के प्रावधानों के उल्लंघन के तहत कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि उन नामित निदेशको की BALCO बोर्ड में जिम्मेदारी भारत सरकार के हितों को सुरक्षित रखने की है, जिस हेतू भारत सरकार के खान सचिव भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिकृत हैं।

लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध सारे जानकारियां दस्तावेज अनुबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 के अंतर्गत लोक दस्तावेज हैं एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों को लोक अधिकारी किसी भी आवेदक को विधिक शुल्क जमा करने पर प्रदान करने से मना नहीं कर सकता है चाहें यदि वह निजी दस्तावेज ही क्यूँ ना हो वह भी यदि किसी लोक अधिकारी के अभिरक्षण में है तो वह भी लोक दस्तावेजों की श्रेणी में ही आते हैं जिसे आवेदक को प्रदान करना बाध्यकारी है, सुप्रीम कोर्ट के Writ Petition (Civil) No. 210 Of 2012 नामित शर्मा बनाम भारत संघ के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की झलक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 में दिखाई देती है, जिसके तहत -

Sections 74 to 78 of the Indian Evidence Act, 1872 give right to a person to know about the contents of the public documents and the public officer is required to provide copies of such public documents to any person, who has the right to inspect them. (सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रति संलग्न)

उक्त निर्णय के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के दायरे में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी आता है, जिसमे खान मंत्रालय भारत सरकार के अपर सचिव एवम निदेशक द्वारा प्रस्तुत तर्क को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 Override (अध्यारोपित) करता है।

Shareholders Agreement के Recitals के खण्ड (I) के तहत The Government, as a significant shareholder of the Company shall extend reasonable co-operation to the company to facilitate the conduct of the business of the company.

इस प्रकार खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बालको के महत्वपूर्ण शेयर धारक होने के नाते बालको के संचालन को सुलभ बनाने हेतु सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करने का समझौता किया गया है जो The Public Records Act 1993 के धारा 2F के तहत आती है, तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2H के तहत public authority means any authority or body or institution of self-government established or constituted and includes any body owned, controlled or substantially financed.

इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 2(H) के तहत भी भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड एक सार्वजनिक निकाय की श्रेणी में आता है, तथा खान मंत्रालय भारत सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के साथ साथ The Public Records Act 1993, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत भी जानकारियां प्रदान करने हेतू बाध्यकारी है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर अध्यारोपित प्रभाव (Overriding Effect) डालते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2007 में लक्ष्मी चौहान विरूद्ध खान मंत्रालय भारत सरकार, वर्ष 2017 में मनोज

मिश्रा विरूद्ध खान मंत्रालय भारत सरकार, तथा शशांक दुबे विरूद्ध खान मंत्रालय भारत सरकार के अपील क्रमांक CIC/MINES/A/2022/660317 CIC/MINES/A/2022/662673 CIC/MINES/A/2022/662676 दिनांक 18.08.2023 में दिए आदेश के तहत् खान मंत्रालय भारत सरकार को बालको से संबंधित जानकारी शेयर धारक समझौते के खंड 4.8 तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F के तहत आवेदक को प्रदान करने का स्पष्ट निर्देश देते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया था (निर्णय की प्रति संलग्न) **(Annexure 9)**

एवम वर्तमान में भीं केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा अपने अपील आदेश क्रमांक CIC/MINES/A/2023/615279 संजय कुमार पटेल विरूद्ध खान मंत्रालय भारत सरकार के दिनांक 18.06.2024 के आदेश में स्पष्ट रूप से खान मंत्रालय भारत सरकार को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश देते हुए सूचना प्रदान करने का आदेश दिया है।

उक्त निर्णयों एवम DoPT के दिशा निर्देशो के बावजूद भी खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बालको से संबंधित जानकारियों को छुपाने के साथ साथ, बालको से सम्बन्धित भ्रष्टाचार, वित्तीय गड़बड़ियो, मानवाधिकार व श्रमिक अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, कंपनी अधिनियम 2013 के उल्लंघन संबंधी शिकायतों पर किसी भी प्रकार से उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिस हेतू संबंधित अधिकारियों पर विभागीय जांच कार्यवाही एवम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968/केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली 1965, भारतीय दंड संहिता की धारा 119,120B, 420, 467,468, 471 के तहत जांच एवम अभियोजन की कार्यवाही की जाएं तथा मेरे राष्ट्रपति महोदया, कैबिनेट सचिवालय के समक्ष प्रस्तुत शिकायत पत्र पर खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किए गए जांच एवम विधिक कार्यवाही संबंधी जांच रिपोर्ट देने का निर्देश देते हुए एवम सरकार द्वारा प्रस्तावित बालको के IPO प्रस्ताव के माध्यम से किए जा रहे विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करके The Industries (Development and Regulation) Act 1951 की धारा 18, Companies Act 2013 की धारा 68 व शेयर धारक समझौते के खंड 4.5 के तहत् पुनः Management Control भारत सरकार के पक्ष में लेकर रणनीतिक साझेदार द्वारा किए गए वित्तीय अनियमितताओं की केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जांच करने का आदेश पारित करते हुए वेदांता लिमिटेड के विरूद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें एवम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का अनुपालन करने का निर्देश जारी करते हुए बालको के शेयरधारक समझौते के तहत रणनीतिक साझेदार (वेदांता लिमिटेड) पर कानूनी कार्यवाही करने का खान मंत्रालय भारत सरकार को निर्देश जारी करने की कृपा करें।

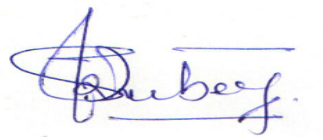

भवदीय

शशांक दुबे

सूचनार्थ प्रति -

(1). महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली 110004

(2). श्री राजीव गौबा जी, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली 110004

7869357373 er-shashank-dubey-ba3527172 intuccgkrb@gmail.com